P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-7* March- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारत में ग्रामीण विकास : एक अवधारणात्मक अध्ययन

कर्मवीर सिंह
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,
अलवर, राजस्थान

सुरेन्द्र सिंह
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय,
अलवर, राजस्थान
.

सारांश

भारत देश गांवो में बसता है। ग्रामीण विकास का तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, बेरोजगारी एवं आर्थिक असमानता को कम करके विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों का विकास। यहां की करीब तीन चौथाई जनसंख्या गांवों से जुड़ी है। ग्रामीण विकास के बिना हम देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। इसके लिए इन क्षेत्रो में आर्थिक आधार तथा सामाजिक आधार ढांचे का विकास होना चाहिए। लोगों के लिए जीविकोपार्जन के साधनों की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे गांवो में कृषि, पशुपालन, हथकरघा, दस्तकारी आदि से जुड़े उद्योगों का विकास होना चाहिए। इन सबका विकास होने से ही ग्रामीण क्षेत्रों में आम जनता के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो सकेगी और ग्रामवासी बेहतर जीवन व्यतीत कर सकेंगे। हमारे देष को प्रायः भारत और इण्डिया दो रूपों में देखा जाता है। भारत से तात्पर्य 'ग्रामीण क्षेत्र' से है और इंडिया नाम 'शहरी क्षेत्र' से जुडा है, तथा इस अवधारणा को ग्रामीण–शहरी भेद के रूप में देखा जाता है जो आजकल बहुत चर्चित है। चूंकि भारत प्रमुखतया गांवो का देश है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण विकास को केन्द्र में रखा जाता है और इसमें सर्वांगीण विकास पर
सर्वाधिक बल दिया जाता है।

मुख्य शब्द : ग्रामीण विकास, अवधारणात्मक अध्ययन

प्रस्तावना

भारत मूलतः गाँवों का देश है । इसकी कुल आबादी का 74 प्रतिषत भाग लगभग 6 लाख गाँवों में निवास करता है, तथा देश के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का लगभग तीन चौथाई भाग गाँवों की सीमाओं में बंधा हुआ है। देश की ग्रामीण जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान एक चौथाई से भी अधिक है। अतः कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की "रीढ़" कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी तथा ग्रामीण विकास हेतु कृषि का भी विकास अपरिहार्य है।

भारत की प्रगति, गांवों पर निर्भर करती है और गाँवो का विकास किए बगैर हम भारत के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। महात्मा गांधी ने भी ग्रामीण विकास को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा था कि – "अगर गाँव नष्ट होते है तो भारत नष्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत इसके शहरों में नहीं बल्कि इसके गाँवों में बसता है" इसी तरह सन् 1976 में विज्ञान कांग्रेस में इन्दिरा गांधी ने गाँवों के बारे में चर्चा करते हुए कहा था कि "हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गाँवों में रहता है और आने वाले सालों में गाँवों में ही रहेगा। मैं तो यह भी कहूँगी कि हम उन लोगों को गाँवों से हटाना भी नहीं चाहते हैं माना, दुनिया भर में शहरीकरण से आराम और उत्साह पैदा हुआ है, लेकिन कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि इससे पेचीदा समस्याएँ पैदा नही हुईं ? ग्रामीण जीवन इतना समृद्ध होना चाहिए कि लोगों और संसाधनों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए।" इसी सन्दर्भ में भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने भी गाँवों की महत्ता स्वीकार करते हुए कहा था कि भारत की प्रगति एवं उन्नति का रास्ता गाँवों से होकर जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान निर्माता भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित थे कि गाँवों का उद्धार किये बगैर भारत का उद्धार नहीं किया जा सकता । इसलिए ही उन्होंने गाँवों का विकास करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 40 सहित कई प्रावधान किये थे।

ग्रामीण विकास : अवधारणात्मक विश्लेषण

ग्रामीण विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसे समझना सहज है लेकिन परिभाषित करना कठिन है। यह एक लचीली अवधारणा है, जिसका अर्थ लोग अपने–अपने ढंग से लगाते है। ग्रामीण विकास एक व्यापक संकल्पना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के रहन–सहन के स्तर में सुधार लाने के सभी पहलू

शामिल है यह लोगों की उन्नति और प्रभावी सामाजिक परिवर्तन दोनों पर लागू होता है।

ग्रामीण विकास, ग्रामीण तथा विकास के शब्दों का योग है जिसका आशय गाँवों के समग्र विकास से है। सामान्यता "ग्रामीण" शब्द से तात्पर्य ग्रामीण पर्यावरण या गाँवों में रहने वाले व्यक्ति से लगाया जाता है। नगरीय विशेषताओं के विपरीत विशेषताओं वाला क्षेत्र ही ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र वह है जहाँ पर लोग कृषि उद्योग में लगे हों तथा वस्तुओं का उत्पादन प्रकृति के सहयोग से करते हों। ग्रामीण लोगों का प्रकृति से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है एवं वे बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर होते है।

'विकास' का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिस प्रक्रिया से किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। साथ ही देश के आर्थिक ढांचे में भी विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तन होते रहते है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास से अभिप्राय सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना है। इस प्रक्रिया में आर्थिक एवं सामाजिक दोनों पहलूओं का समावेश होता है। भारत के सन्दर्भ में ग्रामीण विकास के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए व्यापक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

ग्रामीण विकास वह व्यूह रचना है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में मानवीय एवं भौगोलिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके गांवों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। गाँवों के विकास का तात्पर्य यह नहीं है कि उन्हें शहरी रूप में तब्दील कर दिया जाए बल्कि गाँवों में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूल उपयोग कर वहाँ रह रहे लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है। ग्रामीण विकास कोई स्थैतिक प्रतिक्रिया नही है वरन् यह एक सतत् प्रक्रिया है, जिसे अनन्त काल तक चलाए रखना लोगों के हक में हैं। ग्रामीण विकास का अभिप्राय लोगों को होने वाले आर्थिक लाभों के साथ–साथ समाज के सम्पूर्ण ढांचे में होने वाले अधिकाधिक परिवर्तन से लगाया जाता है। ग्रामीण लोगों के लिए आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएँ उसी स्थिति में हो सकती है जब ग्रामीण विकास प्रक्रिया में अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित की जावे व योजनाओं का विकेन्द्रीकरण किया जाये। भूमि सुधारों को उपादेयता से क्रियान्वित किया जाये तथा ऋण और निवेश की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो। साथ ही सामाजिक विकास के लिए स्वास्थ्य शिक्षा, पेयजल, ऊर्जा आपूर्ति, स्वच्छता, आवास, आदि की स्थिति में सुधार और ग्रामजनों की मनोवृतियों में परिवर्तन भी समान रूप से महत्पूर्ण है। ग्रामीण गरीबी प्रायः कम उत्पाकदता, बेरोजगारी तथा अल्परोजगार का फल होती है। इसलिए गाँवों में उत्पादकता एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना भी महत्वपूर्ण हो जाता हैं

ग्रामीण विकास : गांधीजी के विचार

गांधीजी के विचारों में गाँव महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। उनका मानना था कि भारत गाँवों का देश है। यदि भारत को सम्पन्न और प्रगतिशील बनाना है तो सर्वप्रथम गाँवों की उन्नति करनी होगी। गांधीजी की कल्पना थी कि गाँव शासन की एक इकाई हो, अपने आप में आत्म–निर्भर हो। राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये, प्रत्येक ग्रामीण को अनिवार्य प्राथमिक सुविधाएँ उपलब्ध हों । ग्राम जीवन के सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाये, प्रत्येक गांव में पूरी सत्ता और ताकत हो, उनका अपना स्वराज हो।

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ग्रामीणों की समस्याओं को बहुत करीब से देखा, समझा और परखा था। वे कहते थे कि "उस आजादी का कोई मूल्य नहीं है, जिसमें सबसे पीड़ित और सबसे कमजोर को मुक्ति न मिले और वह यह न महसूस करे कि यह उसका देष है।" सत्य तथा अंहिसा की पूर्णता ग्रामीण जीवन की सादगी में ही प्राप्त की जा सकती है। गांधीजी की ग्रामीण विकास की अवधारणा आज बहुत ही प्रांसगिक है क्योंकि यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का समाजवादी ढाँचा प्रस्तुत करती है। इसमें संतुलित विकास, ग्रामीण विकास, रोजगारोन्मुखता और आत्मनिर्भरता जैसे आर्थिक कारक सम्मिलित है। 73 वें संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की जो व्यवस्था स्थानीय स्तर के निम्नतम स्तर पर की गई है, उसे निश्चय ही ग्रामीण गणतंत्र की गांधीवादी अवधारणा का आधार बिन्दु कहा जा सकता है।

ग्रामीण विकास हेतु किये गये प्रयास

भारत में ग्रामीण विकास प्रक्रिया प्राचीनकाल से चली आ रही है अपने अन्दर सम्पूर्ण ग्रामीण इतिहास को समेटे एवं संजोये हुए है। यहाँ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था को विभिन्न काल के शासकों ने अपने–अपने दृष्टिकोण एवं विचार से विकसित किया। भारत में ग्रामीण विकास का मुद्दा नया नहीं है। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण विकस के अनेक प्रयोग किए गए। ये कार्यक्रम अगल–अलग प्रयत्न के थे जो साधनों एवं विस्तृत योजना की कमी के कारण सीमित क्षेत्रों में सीमित व्यक्तियों तथा सीमित कार्यक्रमों तक ही सीमित रहे।लेकिन परियोजनाओं की इन छुट–पुट कमियों के बावजूद भी भारत की ग्रामीण विकास योजनाओं एंव कार्यक्रमों की आधारशिला कहा जा सकता है। इन प्रयत्नों का मुख्य लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन रहा है जिसे आजादी के बाद योजनाकारों ने वैज्ञानिक विधि से अपनाया तथा अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम अपनाए गए । यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ही इस ओर अधिक ध्यान दिया गया।

सन् 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद देश में ग्रामीण विकास के लिए ठोस प्रयास किये गये। स्वतंत्र भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों (1952) के द्वारा ही पहली बार ग्रामीण समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया । गाँवों में सामुदायिक विकास केन्द्रों की स्थापना की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम व रोजगार योजनाऐं चलाई गई। गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जल, विद्युत, सड़क, स्वरोजगार हेतु अनेक परियोजानाओं को शुरू किया गया । केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने ऐसी कई योजनाएँ तैयार की है जिनमें जन–जन का हित समहित है। सरकार ने ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए अथक प्रयास किये, वर्तमान में कर रही है और आषा की जाती है कि भविष्य में करती रहेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-4* ISSUE-7* March- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने कई योजनाओं कार्यान्वियन किया है। उनमें से प्रमुख इस प्रकार है। – सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, एस. सी/एस.टी. विकास खण्ड कार्यक्रम 1957, पैकेज कार्यक्रम 1960, गहन जिला कार्यक्रम 1960, व्यावहारिक आहार कार्यक्रम 1962, ग्रामीण उद्योग परियोजना 1962, गहन कृषि विकास 1964, उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का कार्यक्रम 1966, जनजाति कार्यक्रम 1969, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0) 1970, ग्रामीण रोजगार हेतु नगर योजना 1971, लघु कृषक विकास एजेंसी 1971, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1972, जनजाति विकास हेतु पायलट योजना 1972, समेकित बाल विकास सेवाएँ 1972, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम 1972, पेयजल योजना 1972, कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम 1975, काम के बदले अनाज योजना 1977, मरूभूमि विकास कार्यक्रम 1977, समन्वित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)1980, ट्राइसेम 1980,राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980, नया बीस सूत्री कार्यक्रम 1980, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (ड्वाकरा) 1983, भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1983, इन्दिरा आवास योजना 1985, ग्रामीण आवास ऋण योजना, निर्बल वर्ग ग्रामीण आवासीय योजना 1988, जवाहर रोजगार योजना 1989, दस लाख कूप येाजना 1990, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1992, सुनिश्चित रोजगार योजना 1993, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1993, सामूहिक जीवन बीमा योजना 1995, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1998, समग्र आवास योजना 1999–2000, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना 2000, क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजना 2000, अन्त्योदय योजना 2000, जलनिधि योजना 2000, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना 2000, खेतिहर मजदूर बीमा योजना 2001, आश्रम बीमा योजना 2001, सर्वषिक्षा अभियान 2001, महिला स्वाधार योजना 2001, महिला स्वयंसिद्धा योजना 2001, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001, जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी येाजना 2002, सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना 2003 , हरियाली योजना 2003, रोजगार गारंटी येाजना 2004, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004, काम के बदले अनाज योजना 2004, ग्रामीण निःशुल्क बिजली योजना 2005, आषा योजना 2005, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम 2005, पूरा मॉडल 2005, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 2005, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 2005, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005, रूरल बिजनेस हब योजना 2006, पशुधन बीमा योजना 2006, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी येाजना (मनरेगा) 2006, आम आदमी बीमा योजना 2007, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008, किसान ऋण माफी योजना 2008, राजीव गांधी एल.पी.जी. ग्रामीण योजना 2009, साक्षर भारत मिशन 2009, ग्रामीण न्यायालय 2009 आदि योजनाएँ है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामवासियों के विकास एवं वहां खुशहाली लाने हेतु विभिन्न कल्याणकारी व विकास योजनाओं और कार्यक्रमों को वर्षानुवर्ष संचालित किया जाता रहा है। वर्तमान में इस श्रेणी के कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों को सरकार द्वारा विशेष प्रतिबद्धता, प्राथमिकता, लगन और उत्साह से लागू किया जा रहा है। और कुछ को भली–भाँति संचालित किए जाने हेतु समुचित रणनीति निर्धारण का कार्य प्रगति पर है, इनमें "भारत निर्माण व अन्य अग्रगामी (फ्लैगशिप) कार्यक्रमों "का निर्धारण व संचालन "पूरा" मॉडल का क्रियान्वयन "ग्रामीण खुदरा बाजारों" की स्थापना को स्वीकृति, ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं का "यर्थाथपूर्ण आकलन" हेतु विशेष प्रयासों के साथ इस दिशा में किए गए "विशेष बजटीय प्रयास" भी मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं। "भारत निर्माण" देश में ग्रामीण पुनर्निर्माण की अतिमहत्वकांक्षी योजना है जिसे सम्पूर्ण देश में चार वर्षो में क्रियान्वित किया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। "भारत निर्माण" परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई, सडकें, जलापूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण दूर संचार सम्पर्क सहित इसके 6 घटक निर्धारित किये गये हैं।

अन्य अग्रगामी कार्यक्रमों में केन्द्र सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान और मध्याहृन भोजन योजना, पेयजल और स्वच्छता तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को विषेष रूप से शामिल किया गया है। "पुरा मॉडल" अर्थात "प्रोवाइडिंग अर्बन अनिनिटीज इन रूरल एरियाज" भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वारा अभिकल्पित एक अवधारणा है जिसके अर्न्तगत गांवों को रिंग रोड से जोड़े जाने और पूरे रास्ते पर संचार, स्वास्थ्य एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें शहरों के करीब लाना है। इस नव विकसित मॉडल को चरणबद्ध तरीके से लागू किये जाने पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार भी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में हो रही अभिवृद्धि के दृष्टिगत वहां निजी क्षेत्र के माध्यम से ग्रामीण खुदरा बाजारों की स्थापना को भी पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा तरजीह दी गई है।

ग्रामीण विकास के विभिन्न प्रतिरोध

ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण कर उनका क्रियान्वयन किया गया, जिनके चलते ही आज ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। आज जहाँ सड़कें नहीं थी वहाँ पक्की सड़कें है। जहाँ लैण्डलाइन फोन नहीं थे वहाँ आज मोबाईल सेवाएँ भी पहुँच गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र यातायात एवं संदेशवाहन के साधनों के विकास से नई चेतना आई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भौगोलिक दूरियाँ कम हुई है। मनरेगा रोजगारोन्मुखी येाजना लागु होने से गाँवों में ही रोजगार सृजन हो रहा है जिससे ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रूका है। किंतु लक्ष्यों की प्राप्ति की दृष्टि से समीक्षा करने पर स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। ग्रामीण भारत में बदलते स्वरूप के बीच ऐसे सच भी है जो प्रगति के दावों को झुठला देते है। अर्थव्यवस्था की सरंचना में बदलाव आया है। प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका घटी है और तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ा है यही कारण है कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा घटा है। भूमण्डलीकरण की आंधी में देश के परम्परागत लघु व कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ है। विदेशों से आयातित वस्तुओं ने घरेलू उद्योगों की कमर तोड़ दी है। खेती की

बढ़ती लागत व उत्पादन में स्थिरता से खेती घाटे का सौदा बन गई है। इसलिए किसान बडें पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता व घरेलू उद्योंगों के पतन के कारण ग्रामीण गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी में वृद्धि हुई है। ग्रामीण भारत की यह बदहाल तस्वीर उसके बदलते चेहरे पर कालिख की भांति है। विभिन्न योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन के पश्चात् भी गाँवों की तस्वीर ने मनोनुकूल स्वरूप धारण नहीं किया तो उसके कई कारण है :–

अशिक्षा

ग्रामीण विकास हेतु शासन ने अनेक योजनाएँ प्रारम्भ की है, किन्तु ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी बाधा अषिक्षा की है जो ग्रामीण जनता को अशिक्षित और अज्ञानी बनाकर विकास कार्य को रोकती है। 6–14 वर्ष की आयु वाले करोड़ों बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित है। नारी शिक्षा के मामले में तो स्थिति ओर भी बदतर है योजना आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की हर दूसरी महिला निरक्षर है भारत में 74 प्रतिशत लोग ही पढ़े–लिखे हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए अच्छा वातावरण तैयार करने की जरूरत है।

जनसंख्या वृद्धि

ग्रामीण विकास में जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत बड़ी बाधा है, जिससे विकास नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाएँ जनसंख्या वृद्धि के कारण सफल नहीं हो पा रही है। संसाधन रोजाना घटते जा रहे है। आवासों की कमी, पेयजल की समस्या, स्वास्थ्य सेवाएँ तथा शिक्षा की समस्याएँ जनसंख्या वृद्धि के कारण ही उपज रही हैं तथा ग्रामीण विकास पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है।

कृषिगत समस्याएँ

प्राथमिक क्षेत्र की समस्या भी ग्रामीण विकास में बाधक बन रही है। इसमें कृषि की जटिल समस्याएँ मुख्य रूप से है। कृषि जोतों में विभाजन, उपविभाजन के कारण किसान के पास भूमि कम रह गई है जिसके कारण गाँव के किसान श्रमिक बनने को मजबूर हो गये हैं तथा वे शहरों की ओर पलायन करने लगे है।

ग्रामीण बेरोजगारी

ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी समस्या के रूप में उभरी है कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित है। परिणामस्वरूप कृषक एवं कृषि श्रमिक मौसमी बेरोजगारी, अर्द्ध बेरोजगारी तथा अदृष्य बेरोजगारी के दुष्चक्र से घिरा रहता है। इसके साथ ही आद्यौगिकरण एवं विकास की दौड़ ने ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों को समूल नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है जिससे गाँवों में श्रमिकों के पलायन की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समस्या

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सुनिष्चित ढंग से कियान्वयन न होने के कारण ग्रामीण विकास में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी। ग्रामीण विकास योजनाओं में योजना के कार्यक्रम में संबंध में समन्वय, समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण आदि उचित कार्य उचित समय पर किये जाने अतिआवश्यक है। अन्यथा ग्रामीण विकास के लिए कितने भी कार्यक्रम लागू किये जाये, ग्रामीणों की समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं किया जा सकता।

नियोजन की समस्या

ग्रामीण विकास में ग्रामीण संसाधनों एवं कार्यक्रमों के नियोजन की समस्या भी बाधक है ग्रामीण क्षेत्र संसाधनों से परिपूर्ण है जरूरत है उसके सही एवं नियोजित विदोहन की। यद्यपि अब गाँव के विकास कार्यक्रमों को संचालित करने का भार ग्राम पंचायतों पर डाल दिया है। परंतु अभी भी ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर संचालित करने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया है। इनके पास स्वयं के कोई आय के स्त्रोंत नहीं है धन प्राप्ति हेतु आज भी इन्हें राज्य सरकारों का मुँह ताकना पड़ता है। जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बढ़ जाती है।

भ्रष्टाचार

किसी तरह यदि सभी सुविधाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में देने का प्रयत्न भी किया जाता है तो भ्रष्टाचार के कारण वह विकास संभव नहीं हो पाता है। भ्रष्टचार तथा घूसखोरी ग्रामीण विकास योजनाओं को सफल नहीं होने दे रहे हैं।

रूढ़िवादिता

गाँवों में फैली सामाजिक कुरीतियाँ यथा– बाल–विवाह, मृत्युभोज, छूआछूत, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, नशाखोरी, रूढ़िवादिता आदि आज भी ग्रामीण विकास पर अवरोध लगा रही है। इनके कारण ग्रामवासियों को विकास योजनाओं का वांछित लाभ नहीं मिल पाया है। पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियाँ आज भी गाँवों में प्रचलित हैं। इससे महिलाओं के विकास में उचित येागदान नही मिल रहा है। धार्मिक अन्धविष्वास एवं रूढ़िवादिता के कारण भी गाँवों में वांछित विकास नहीं हो पाया है। षिक्षा, चिकित्सा आदि की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। घातक बिमारियाँ हो जाने पर भी झांड–फूंक तथा देवताओं की मनौती का सहारा लिया जाता है इससे बिमारियां बढती जा रही है तथा आज अधिकाषं गाँव स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है।

ये सभी समस्याएँ ऐसी है जिनका हल संभव है। आवष्यकता दृढं संकल्प की है तथा सही तरीके से कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की है। इन समस्याओं को हल करने में सरकार के साथ–साथ समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसमें कोई संदेह नही कि उपयुक्त लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है। अगर हर ग्रामीण समस्याओं को हल करने के प्रति दृढं एवं कृत संकल्प हो तो वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीण अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगें। साथ ही केन्द्र एवं राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई जा ने वाली नीतियों का ईमानदारी से पालन करें तभी गाँवों की स्थिति में सुधार संभव है।

ग्रामीण विकास हेतु सुझाव

सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए समय–समय पर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए है और उनके लिए धनराशि भी आवंटित की है। विकास कार्यक्रमों पर राशि व्यय करने से ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न दिशाओं में

विकास हुआ है। लेकिन इस संबंध में अभी बहुत कुछ काम करना शेष है।

ग्रामीण क्षेत्रों में तीव्र, समावेशी एवं सुस्थिर विकास के लिए निम्न उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए –

1. ग्रामीण विकास में विक्रेंद्रित नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय आर्थिक साधनों,स्थानीय श्रम–शक्ति एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का ढांचा तैयार करके जनभागीदारी से उसे क्रियान्वित किया जा सकता है।
   इसके लिए गैर सरकारी संगठनों, संस्थाओं, स्व सहायता–समूहों तथा महिला–संगठनों के योगदान का बड़ा महत्व होता है। विकास कार्यो में सरकार की भूमिका सहायक के रूप में ही होनी चाहिए, जैसे वह प्रोजेक्ट तैयार करने में मदद करे, वित्तीय साधन उपलब्ध कराए और क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करे आदि। लेकिन विकास की जिम्मेदारी ग्रामवासियों एवं उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की ही होनी चाहिए।
2. ग्रामीण विकास योजनाएं एंव कार्यक्रम तो अव्वल श्रेणी के है, लेकिन उनका क्रियान्वयन ढीला है। अतः भविष्य में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को ठीक से निर्धारित लागत एवं निर्धारित समय में लागू करने पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए।
3. भारत में एक तरफ विकास के लिए साधनों के अभाव की समस्या पाई जाती है, तो दूसरी तरफ सीमित एवं दुर्लभ आर्थिक साधनों के दुरूपयोग का नजारा भी देखने को मिलता है। इसलिए भविष्य में साधनों के अपव्यय को रोकने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा।
4. भारत में हर वर्ष विकास के नए–नए कार्यक्रम घोषित किए जाते है, लेकिन वे "नई बोतल में पुरानी शराब" की तरह होते है। अतः ग्रामवासी ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लें और उन्हें हर प्रकार से सफल बनाएं। भारत की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में समतावादी समाज की स्थापना एवं अनाज की सप्लाई बढ़ा कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास तेजी से किया जाना चाहिए। कृषकों को कृषिगत तकनीकों के सुधारों पर विशेष रूप ध्यान देना चाहिए।
5. आगामी वर्षो में सर्वाधिक ध्यान आर्थिक आधारभूत ढांचे एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण पर दिया जाना चाहिए। अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात के समर्थक हैं कि विकास के लिए उपलब्ध सीमित साधनों को अत्यधिक कृषिगत सब्सिडी में लगाने के बजाय ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास में लगाना अधिक श्रेयस्कर होगा। इसके दूरगामी परिणाम ज्यादा लाभकारी होंगें।
6. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) में सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कार्यकुशलता को बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को केन्द्र से वित्तीय साधन अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए जाऐं। लेकिन आवष्यकता इस बात की है कि ग्रामीण विकास पर किए गए व्यय का लाभ सभी ग्रामवासियों को मिलें। उसका लाभ केवल बिचौलियों तक ही सीमित न रह जायें। इसके लिए ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों की निरंतर मॉनीटरिंग एंव ऑडिट होनी चाहिए। उचित संगठन, पर्याप्त वित्तीय साधन एंव ग्रामीणों की आवष्यक सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करके ग्रामीण विकास का भविष्य उज्जवल किया जा सकता है। इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाना होगा, विकेन्द्रित नियोजन की प्रक्रिया को अधिक सक्रिय करना होगा और ग्रामवासियों को राजनीतिक दृष्टि से भी अधिक सजग एवं सबल बनाना होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

किसी भी देश के लिए संतुलित व सर्वव्यापी विकास आवष्यक होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ क्षेत्र और व्यक्ति तो अधिक लाभान्वित हो और कोई एक बड़ा वर्ग जीवन की आवष्यक व मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रह जाए। असंतुलित विकास एवं नीतियां असंतोष को जन्म देती है जो किसी देष के सहज विकास के लिए कल्याणकारी नहीं है। इसी संदर्भ में इस अध्ययन में ग्रामीण विकास का अवधारणात्मक विश्लेषण किया गया है। इस समस्त अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य समस्त ग्रामीण विकास के लक्ष्य की पड़ताल करना रहा है। यह भी जानने का प्रयास किया गया है कि सुविचारित विकास नीतियों के बावजूद ग्रामीण विकास का लक्ष्य अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया है। क्या ग्रामीण विकास नीतियों के क्रियान्वन स्तर पर कोई कमी रह जाती है। ये कुछ प्रश्न है जिनके संदर्भ में इस शोध पत्र को केन्द्रित किया गया हैं

निष्कर्ष

उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्चय ही सिद्व होता है कि ग्रामीण क्षेत्र आज विकास के मार्ग पर अग्रसर तो हो चला है, परंतु विकास का स्वप्न पूर्ण होना अभी शेष है। गांधीजी के सपनों का एक आत्मनिर्भर गांव आज अपने यर्थाथ रूप में कुछ सीमा तक पहुँच पाया है। इस संदर्भ में किये गए अथक प्रयासों की सराहना करनी होगी। परंतु ये तो सिक्के का केवल एक पहलू हुआ, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रोषनी नही पड़ी है, उनको भी विकास की इस बयार में साथ लेकर चलना होगा। तेजी से बदलाव की ओर अग्रसर हो रहे सामाजिक व आर्थिक परिवेष तथा वैज्ञानिक व तकनीकी उन्नयन की तेज रफ्तार के फलस्वरूप ग्रामीण पुनर्निर्माण को इस मुहिम में और भी अधिक तेजी लाने की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है।

अतः ग्रामीण समस्याओं के हल करने में सरकार के साथ–साथ समाज के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसमें कोई संदेह नही कि गाँवों के सर्वांगीण विकास को प्राप्त करना कठिन है परंतु सरकार एंव जनता की सतत् इच्छा शक्ति से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. बाबेल, डॉ. बसंती लाल–पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर , 2008
2. भावे, विनोबा –भारत में ग्रामीण विकास, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2001
3. चौधरी, सी.एम.– ग्रामीण विकासः एक अध्ययन, सबलाइम पब्लिकेशन्स, जयपुर 1981
4. गांधी, एम.के.–हमारे गांव का पुर्ननिर्माण, (सम्पादक भारतन कुमारप्पा) नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1853
5. कटारिया, सुरेन्द्र– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 2003
6. कुमारप्पा, जी.का.–ग्राम सुधार की एक योजना, अखिल भारतीय सर्वसेवा संघ, काशी (उ.प्र.) 1987
7. महिपाल–पंचायती राज अतीत, वर्तमान और भविष्य, सारांष प्रकाषन, नई दिल्ली, 1996
8. मैथ्यू, जॉर्ज–भारत में पंचायती राज, परिप्रेक्ष्य और अनुभव, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003
9. पन्त, डी.सी.–भारत में ग्रामीण विकास, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर 2001

पत्र – पत्रिकाएँ

1. कुरूक्षेत्र
2. योजना
3. दैनिक जागरण
4. राजस्थान पत्रिका
5. जनसत्ता